कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अगस्त, 2016 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 अगस्त, 2016 को डीआरडीओ सभागार में सहायक सचि वों (अभासे-2014 बैच) का उद्घाटन सत्र

2. वैज्ञानि क मंत्रालयों/वि भागों/संगठनों के प्रमुखों ने दि नांक 12.08.2016 को सीएसओआई, नई दि ल्ली में सहायक सचि वों (2014 बैच के अ.भा.से. अधि कारि यों) के साथ बातचीत की।

3. इस वि भाग के दि नांक 16 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/2/2016-जेएसए के तहत भारत सरकर के सभी मंत्रालयों/वि भागों से अनुरोध कि या गया है कि 7वें वेतन आयोग की सि फारि शों के कार्यान्वयन से उत्पन्न वि संगति यों के समाधान के लि ए वि संगति समि ति यों के गठन के लि ए तत्काल कार्रवाई करें।

4. मंत्रि मंडलीय नि युक्ति समि ति के नि देश के अनुसार इस वि भाग ने सभी केंद्रीय संगठि त समूह वर्ग 'क' सेवाओं की संवर्ग संरचनाओं का व्यापक अध्ययन करने तथा इन मुद्दों के समयबद्ध रीति से समाधान के संबंध में सुझाव देने के लि ए (दि नांक 22.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं 11019/10/2016-सीआरडी के तहत) एक कार्यदल गठि त कि या है।

5. इस वि भाग ने सीसीएस (संशोधि त वेतन) नि यम, 2016 के अनुसार नई वेतन संरचना अर्थात् 'वेतन मैट्रि क्स में स्तर' द्वारा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का प्रति स्थापन का मौजूदा सेवा वि नि यम/भर्ती नि यम में संशोधन करने के लि ए दि नांक 9 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14017/13/2016-स्था. (आरआर) के तहत सभी मंत्रालयों/वि भागों को अनुदेश जारी कि ये हैं। इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा मंत्रालयों/वि भागों के साथ 3 अक्तूबर, 2016 से शुरू होने वाले 'कैम्प मोड' में की जाएगी।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन में, इस वि भाग द्वारा सभी मंत्रालयों/वि भागों को यह सुनि श्चि त करने के लि ए [दि नांक 23 अगस्त, 2016 कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/04/2016-स्था.(क)] के तहत अनुदेश जारी कि ए गए कि आरोपि त अधि कारी को नि लंबन की तारीख से 90 दि नों के भीतर आरोप पत्र जारी कि या जाए ताकि नि लंबन अवधि व्यपगत न हो जाए।

7. इस विभाग ने एक सप्ताह के सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है और केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत कार्यरत अखिल भारतीय सेवा (अ.भा.से, आईपीएस एंड आईएफओएस) के पात्र अधिकारियों तथा केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस)/केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) से दिनांक 31 अगस्त, 2016 के अ.शा. पत्र सं. 12017/02/2016 के तहत उपस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन के लिए उनकी सहमति मांगी है।

8. डिजिटल भारत पर बल दिए जाने के मद्देनज़र, इस विभाग ने दिनांक 22 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27012/01/2015 स्था (एएल) के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को स्पष्टीकरण जारी किया है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा शुल्क आदि के भुगतान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत ई-रसीद को मूल रसीद माना जाए तथा बच्चों को शिक्षा भत्ते (सीईए) की प्रतिपूर्ति के लिए इसकी अनुमति दी जाए।

9. श्री बी.पी. शर्मा, पूर्व सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के डीओपीएंडटी में सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद नियम सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56(जे)/नियम 48 के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी सेवकों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने वाली प्रतिनिधित्व समिति की संरचना में इस विभाग के दिनांक 16.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25013/01/2013-स्था.ए-IV के द्वारा संशोधन कर दिया गया है।

10. काश्मीर घाटी में स्थित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगत प्रावधानों को शिथिल करते हुए अतिरिक्त गृह किराया भत्ता (एचआरए) भोजन सुविधा, प्रतिदिन भत्ता, काश्मीर घाटी से बाहर बस जाने वाले पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन के भुगतान जैसी विशेष रियायतें/सुविधायें इस विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18016/1/2016-स्था(एल) द्वारा दिनांक 01.01.2016 से और दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गई हैं।

11. वर्ष 2016 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में 'प्रीति भोज समारोह' के संबंध में आसपास के कार्यालय भवनों को बंद करने का आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/10/2016-जेसीए2 के तहत इस विभाग के द्वारा जारी किया गया।

12. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 24.08.2016 को सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था तथा 25 कर्मचारियों ने इस शिविर में रक्तदान किए था।

13. चार संशोधि त वि नि यम नामत: केंद्रीय सचि वालय सेवा (संशोधन) वि नि यम, 2016, केंद्रीय सचि वालय सेवा सहायक अनुभाग अधि कारी ग्रेड (प्रत्यक्ष भर्ती प्रति योगी परीक्षा) संशोधन वि नि यम, 2016, केंद्रीय सचि वालय सेवा (अनुभाग अधि कारि यों तथा सहायक अनुभाग अधि कारि यों के संवर्ग ग्रेडों हेतु चयन सूची तैयार करना) वि नि यम, 2016 तथा केंद्रीय सचि वालय सेवा सहायक अनुभाग अधि कारी ग्रेड (सीमि त वि भागीय प्रति योगी परीक्षा) संशोधन वि नियम, 2016 दि नांक 02.08.2016 को राजपत्र अधि सूचना में प्रकाशि त कि ए गए हैं।

14. चूंकि वि भाग को तकनीकी त्यागपत्र के बारे में नि यमि त रूप से संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं, इसलि ए इस वि भाग के दि नांक 17 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन 28020/01/010-स्था.(सी) के तहत तकनीकी त्यागपत्र तथा धारणाधि कार (लि एन) के बारे में समेकि त दि शानि र्देश जारी कि ए गए हैं।

15. महाराष्ट्र संवर्ग के आई एफएस अधि कारि यों की संवर्ग समीक्षा दि नांक 12.08.2016 को अधि सूचि त की गई।

16. इस वि भाग के दि नांक 2 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/5/2016-स्था. ए-III के तहत स्पष्ट कि या गया है कि यौन उत्पीड़न के आरोप के सभी मामलों में जहां शि कायत समि ति ने आरोपि त कर्मचारी के वि रूद्ध कि सी प्रकार की कार्रवाई की सि फारि श नहीं की है, अनुशासनि क प्राधि कारी शि कायतकर्ता को शि कायत समि ति की रि पोर्ट की एक प्रति प्रदान करे तथा अंति म नि ष्कर्ष आने के पहले उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर वि चार करे। यह अभ्यावेदन, कार्यस्थल पर महि लाओं का उत्पीड़न (नि वारण, नि षेध और समाधान) अधि नि यम 2013 की धारा 18(1) के अंतर्गत अपील मानी जाएगी।

17. अगस्त, 2016 के दौरान मंत्रि मंडलीय नि युक्ति समि ति के अनुमोदन से सचि व के एक पद, संयुक्त सचि व के 25 पदों, मंत्री के पीएस/ओएसडी के 12 पदों तथा केंद्रीय लोक उद्यम क्षेत्र (सीपीएसई) के चौदह (14) पदों पर नि युक्ति की गई है। इसके अति रि क्त केंद्र सरकार में संयुक्त सचि व का पद संभालने के लि ए वर्ष 1999 बैच के 28 आईएएस अधि कारि यों तथा वर्ष 1992 बैच के एक आईपीएस अधि कारी (शुरू में आस्थगि त) का नामि कायन (इम्पैनलमेंट) कि या गया है। इसके अलावा इस माह के दौरान डीएस/नि देशक स्तर के पदों पर नि युक्ति के लि ए केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम, 2016 के तहत 25 अधि कारि यों को प्रति धारि त कि या गया है।